# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी :— अनुपमा जोरवाल (I.A.S.)

| प्रकरण संख्या | दर्ज दिनांक | फैसल दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 06/2019<br>RCMS NO. 2019/00115 | 27.12.2019 | 18.03.2020 |

| प्रार्थी | | अप्रार्थी/बाकीदार—ऋणी |
| --- | --- | --- |
| मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी<br>भारतीय स्टेट बैंक,<br>शाखा कार्यालय अरनोद। | बनाम | मैसर्स मारूति इन्टरप्राईजेज प्रो. विजय कृष्ण शर्मा पुत्र श्री जमनालाल शर्मा निवासी बस स्टेण्ड चूपना तहसील अरनोद (ऋणी/बंधककर्ता) |

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत्</u>

<u>उपस्थिति :—</u>

1. श्री विजय पाल सिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थी विजय कृष्ण शर्मा

---

दिनांक :— 18.03.2020

## —: आदेश :—

प्रार्थी कि ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी प्रो. विजय कृष्ण शर्मा पुत्र श्री जमनालाल शर्मा निवासी बस स्टेण्ड चूपना तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.) के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा अप्रार्थी को राशि रूपये 15,00,000/—रू. (अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये) केश क्रेडिट एवं टर्म ऋण सूविधा पर उपलब्ध कराई गई तथा पुर्नभुगतान हेतु अप्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की जायदाद/सम्पत्ति अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में प्रतिभूति स्वरूप बंधक/रहन निम्नांकितानुसार प्रतिभुतियां प्रार्थी बैंक के ऋण राशि धरोहर स्वरूप बंधक/रहन किया गया।

अप्रार्थीगण के नाम अनुसूची —I में अंकित अनुसार रहवासी मकान मैसर्स मारूति इन्टरप्राईजेज का दृष्टिबंधक स्टॉक स्क्रेप व मशीनरी इज्यादि जो बस स्टेण्ड अरनोद पर स्थित है तथा अनुसूची —II में अंकित अनुसार विजय कृष्ण शर्मा पुत्र श्री जमनालाल शर्मा निवासी चूपना की सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन,ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 3750 वर्ग फीट है। चतुसीमाएं :— उत्तर में : आम रास्ता, दक्षिण में कन्हैया लाल जी भीवंद, पूर्व में परमानन्द जी का घर, पश्चिमी में भैरूलाल जी का घर स्थित है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)



Scanned with CamScanner

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को ऋण राशि मय ब्याज का भुगतान करने में असफल रहने व व्यतिक्रम करने पर प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा उक्त ऋण राशि 15000/– रू. मय ब्याज व अन्य खर्च अदा करने हेतु वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(2) के तहत दिनांक 26.04.2019 को सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी के बाद सूचना पत्र तामिल रिपोर्ट एवं नोटीस मियाद अवधि 60 दिवस समाप्त हो जाने पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा उक्त ऋण राशि मय ब्याज राशि प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को नहीं जमा कराये जाने की स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक की गई सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनुपालना में दिवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के तहत् अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये जाकर एक प्राथमिक अवसर प्रदान कराया गया जबकि प्रकरण में प्रस्तावित अधिनियम के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटीस के उपरान्त पृथक से कोई सूचना पत्र ज्ञापित करने का प्रावधान विहित नहीं होना प्रार्थी संस्था के प्राधिकृत द्वारा अवगत कराया है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) कि ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा बहस अन्तिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ली गई ऋण राशि मय ब्याज के निश्चित समयावधि दिनांक 26.04.2019 तक प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को अदा नहीं किया गया है तथा आगे अदा करने की मंशा भी दर्शित नहीं होती है।

जिसके चलते प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा दिनांक 26.04.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थी को सूचित कराते हुए 60 दिवस का अन्तिम अवसर भी प्रदान कराया जा चुका है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा प्राप्त ऋण राशि मय ब्याज के नहीं लौटाये जाने से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में बंधक/रहन की गई सम्पत्तियों/आस्तियों को अपने कब्जे में लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा बंधक/रहन की गई सम्पत्तियों का कब्जा मय पुलिस इमदाद सहित प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को प्रदान करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा अप्रार्थी को राशि रूपये 16,03,008/– केश क्रेडिट एवं टर्म लोन सुविधा प्रदान की गई है तथा अप्रार्थी द्वारा बतौर प्रतिभूति अपनी सम्पत्तियों/आस्तियों को बंधक/रहन रखा गया है। प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) बकाया ऋण राशि मय ब्याज प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटीस दिया जाकर समुचित अवसर प्रदान कराया जाना भी रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य है।

*उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात होता है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में विहित प्रावधानों अनुसार प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में अप्रार्थी द्वारा बंधक/रहन की गई सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में उपशासन सचिव, गृह (सुरक्षा) विभाग गृह ग्रुप–5 के पत्र कमांक प.17(2) गृह–5/2012 जयपुर दिनाक 18.10.2012 एवं संयुक्त सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 31.07.2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्रों अन्तर्गत भी ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को ऋणी से कब्जा प्रदायगी के आदेश पारित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी बताते हुए निर्णय करने की शक्तियां प्रदान की गई है।*

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण राशि 16,03,008/–रूपये एवं अन्य राशियां बैंक को जमा कराने में असमर्थ होने पर प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में प्रतिभूति स्वरूप बंधक/रहन की गई प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में प्रतिभूति स्वरूप बंधक/रहन की गई सम्पत्ति अनुसूची –I में अंकित अनुसार रहवासी मकान मैसर्स मारूति इन्टरप्राईजेज का दृष्टिबंधक स्टॉक स्केप व मशीनरी इज्यादि जो बस स्टेण्ड अरनोद पर स्थित है तथा अनुसूची –II में अंकित अनुसार विजय कृष्ण शर्मा पुत्र श्री जमनालाल शर्मा निवासी चूपना की सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन,ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 3750 वर्ग फीट है। चतुसीमाएं :– उत्तर में : आम रास्ता, दक्षिण में कन्हैया लाल जी भीवंद, पूर्व में परमानन्द जी का घर,



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

मी में भैरूलाल जी का घर स्थित है की *धरोहर स्वरूप बंधक/रहन* भूमि सम्पत्तियों का भौतिक से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को जरिये जिला पुलिस अधीक्षक के धेत पुलिस थाना स्तर से पुलिस इमदाद कब्जा प्राप्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता

आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था), अप्रार्थी/ऋणी एवं जिला पुलिस अधीक्षक तथा धित थानाधिकारी का हस्ब कायदा जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर खेल दफतर हों।

आदेश आज दिनांक 18 .03.2020 को सरे ईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ
2. मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अरनोद
3. श्री मैसर्स मारूति इन्टरप्राईजेज प्रो. विजय कृष्ण शर्मा पुत्र श्री जमनालाल शर्मा निवासी बस स्टेण्ड चूपना तहसील अरनोद

Scanned with CamScanner